International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 02(I), April- June, 2025, pp. 103-109

# जनसंख्या वृद्धि और संसाधन संतुलन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

**विष्णु चौधरी[1]* | तरूण कुमार यादव[2]**

[1]शोधार्थी, भूगोल विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान।
[2]शोध निर्देशक, भूगोल विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान।

*Corresponding Author: vishnuchoudhary201314@gmail.com

**सार**

*आज का विश्व बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन–प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती समस्याओं का सामना कर रहा है। न केवल हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि पर्यावरण संतुलन खतरे का निशान पार कर रहा है। यह तेजी से बढ़ती जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है जिससे प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियाँ सिर उठा रही हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन की दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास करें। बड़ी जनसंख्या तक योजनाओं के लाभों का समान रूप से वितरण संभव नहीं हो पाता जिसकी वजह से हम गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दशकों बाद भी उबर नहीं सके हैं। आज देश की सभी समस्याओं की जड़ में जनसंख्या–विस्फोट है। विश्व के सबसे अधिक गरीब और भूखे लोग भारत में हैं। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या भी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी से देश के युवा परेशान हैं। युवा शक्ति में निरंतर तनाव बढ़ता जा रहा है जो देश में बढ़ते हुए अपराधों का एक सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय हैं।*

***शब्दकोशः*** *जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संतुलन, मानव जनित आपदा, बेरोजगारी, कुपोषण।*

## प्रस्तावना

जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों में जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी, निर्धनता, संयुक्त परिवार, बालविवाह, कृषि पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास, शिक्षा का अभाव प्रमुख हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनजागरण की आवश्यकता को देखते हुए हर वर्ष 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है।

इसी दिन अर्थात् 11 जुलाई 1987 को जब दुनियां की जनसंख्या 5 अरब हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में स्मरण करने का दिवस घोषित किया। तभी से इस दिन का पूरी दुनिया में विशेष महत्त्व है क्योंकि आज दुनियां के हर विकासशील और विकसित देश, जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहरी देशों से आकर रहने वाले शरणार्थियों के कारण परेशान हैं।

आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर चुकी है जो वर्ष 2100 तक लगभग ग्यारह अरब होने का अनुमान है। जनसंख्या की वृद्धि मुख्यतः विकासशील देशों में होने की संभावना है। इसमें से आधी से ज्यादा जनसंख्या अफ्रीकी देशों में होगी। वर्ष 2050 में नाइजीरिया की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ज्यादा हो जाने की संभावना है। आज चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन आने वाले समय में भारत दुनियां

का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने जा रहा है। यह तब है जब भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में प्रजनन दर कम हुई है क्योंकि इन देशों में परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम जोर–शोर से चल रहे हैं।

जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत विश्व में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के पास विश्व की समस्त भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत भाग ही है जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। हमारे कुछ राज्यों की जनसंख्या भी दुनियां के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है।

भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले कुछ वर्षों से कमी आ रही है परन्तु उसके बावजूद कुल जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है क्योंकि कुल जनसंख्या का 51 प्रतिशत भाग जनन आयु वर्ग (15–49) का है इसलिए इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष लाखों लोग और बढ़ जाते हैं। प्रतिवर्ष 260 लाख बच्चे पैदा होते हैं। केवल 53 प्रतिशत दंपति ही गर्भ निरोधक का उपयोग कर रहे हैं। प्रचलित स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने में अभी कई दशकों का समय और लग सकता है। जनसंख्या का लगभग 42 प्रतिशत भाग उन बच्चों के कारण बढ़ता है जो प्रति परिवार दो बच्चों के बाद पैदा होते हैं।

बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे कृषि योग्य बंजर भूमि तथा विविध वृक्ष प्रजातियों तथा बागों की सुरक्षित भूमि में कमी हो रही है। औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास की चाह में उष्ण कटिबंधीय वनों का विनाश होते हम सभी देख रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय सघन वन प्रतिवर्ष एक करोड़ हैक्टेयर की वार्षिक दर से लुप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि थाईलैण्ड तथा फिलीपीन्स जैसे देश में जो कभी प्रमुख लकड़ी निर्यातक देशों में अग्रणी थे, वनों के विनाश के कारण बाढ़, सूखे तथा पारिस्थितिकी विनाश के शिकार हैं।

जनसंख्या का दबाव निर्धनता, बेरोजगारी, आवास की समस्या, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव तथा कृषि पर भार के रूप में भी देखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर गंभीर प्रभाव देखने में आये हैं जिससे कई आर्थिक, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आर्थिक विकास में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय समस्यायें, ऊर्जा संकट, औद्योगिकी–करण एवं नगरीकरण, यातायात की समस्यायें, रोजगार की समस्यायें आदि जनसंख्या के लगातार वृद्धि के ही दुष्परिणाम हैं।

जनसंख्या दबाव के कारण कृषि के लिए भूमि कम हो रही है क्योंकि उनके आवास, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से लगातार भूमि कम हो रही है। इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे खाद्यान्न और पेयजल की उपलब्धता में कमी। इससे समाज के बहुत बड़े वर्ग को स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है।

हमने भारत में वर्ष 1952 में जनसंख्या नियंत्रण हेतु दुनियां में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। आपात्काल के दौरान हुई कुछ ज्यादतियों के दुष्प्रभावों को छोड़ दिया जाए तो यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपना प्रभाव दिखा रहा है। भारत में परिवार कल्याण (परिवार नियोजन का नाम बदला गया) का उद्देश्य, जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1 प्रतिशत पर स्थिर करने का है। इसके लिए तीन प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें बुनियादी प्रजनन और बाद की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समन्वित सेवाओं की व्यवस्था सहित जन्म नियंत्रण और संबंध स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति, वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, जन्म पूर्व लिंग निर्धारण तकनीक पर रोक लगाना, लड़कियों को देर से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि सम्मिलित हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जिन राज्यों में वृद्धि दर अधिक होती है, वहां मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर भी बहुत अधिक होती है। बार–बार जन्म देने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उनके जीवित रहने का जोखिम भी बढ़ जाता है। गर्भ निरोधक सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आज केवल 53 प्रतिशत दंपति ही गर्भनिरोधक का उपयोग करते है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है और विशेषतः ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जहां इस दिशा में कम कार्य किया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विवाह निर्धारण अधिनियम का कठोरता से पालन करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा प्रणाली में इसे सम्मिलित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का विस्तार तथा महिलाओं को व्यापक स्तर पर शिक्षित किया जाना जैसे उपाय कारगर हो सकते हैं। यह तभी संभव है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को समय रहते समझे तथा जागरूक रहते हुए इस गंभीर चुनौती से निपटने में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद् के एक नेता ने जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं से अधिक संतान पैदा करने का आग्रह किया तो इस पर कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं आई लेकिन यह आग्रह अवश्य देखा गया कि एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय की प्रतिक्रिया में जनसंख्या बढ़ाये, यह उचित नहीं है। अच्छा हो दूसरे समुदायों को भी बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति सजग किया जाए और तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर चीन जैसे दंडात्मक निषेध लागू किए जाए।

इसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों से संसद और विधानसभा में प्रवेश के लिए दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर अपात्र घोषित करने से की जानी चाहिए। यदि ऊपर बदलाव हुआ तो निचले स्तर पर उसका प्रभाव होना लाजिमी है। आशा है नई सरकार समान नागरिक संहिता कानून पर विचार करते समय देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बढ़ती जनसंख्या पर भी अंकुश लगाएगी।

अनियंत्रित गति से बढ़ रही जनसंख्या देश के विकास को बाधित करने के साथ ही हमारे आम जन जीवन को भी दिन–प्रतिदिन प्रभावित कर रही है। विकास की कोई भी परियोजना वर्तमान जनसंख्या दर को ध्यान में रखकर बनायी जाती है, लेकिन अचानक जनसंख्या में इजाफा होने के कारण परियोजना का जमीनी धरातल पर साकार हो पाना मुश्किल हो जाता है। ये साफ तौर पर जाहिर है कि जैसे–जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे–वैसे गरीबी का रूप भी विकराल होता जायेगा। महंगाई बढ़ती जायेगी और जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष होना प्रारंभ हो जायेगा। जनसंख्या संबंधी इन्हीं समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या रुझान और बढ़ती जनसंख्या के कारण पैदा हुई प्रजननीय स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक और अन्य चुनौतियों के बारे में विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रत्येक वर्ष विचार–विमर्श किया जाता है।

गौरतलब है कि इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य विषय ''एक सार्थक कल की शुरुआत, परिवार नियोजन के साथ'' है। निःसंदेह जनसंख्या वृद्धि पर लगाम कसने का सबसे सरल उपाय परिवार नियोजन ही है। लोगों में जन–जागृति का अभाव होने के कारण दस–बारह बच्चों की फौज खड़ी करने में वे कोई गुरेज नहीं करते है। इसलिए सबसे पहले उन्हें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की महती आवश्यकता है। यह समझने की जरूरत है कि जनसंख्या को बढ़ाकर हम अपने आने वाले कल को ही खतरे में डाल रहे हैं। वस्तुतः बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। जिसके कारण देश में भुखमरी, पानी व बिजली की समस्या, आवास की समस्या, अशिक्षा का दंश, चिकित्सा की बदइंतजामी व रोजगार के कम होते विकल्प इत्यादि प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या 2024 तक चीन की भारी आबादी को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल जायेगी। सन 2100 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। अभी तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या वाले दुनिया में 10 देश हैं। जिनमें चीन, भारत, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, इथियोपिया–तंजानिया, संयुक्त राष्ट्र, युगांडा, इंडोनेशिया और मिश्र शामिल हैं। इनमें से नाइजीरिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या पुनरीक्षण 2017 के एक अनुमान के अनुसार भारत की आबादी 2030 में 1.5 बिलियन हो जायेगी। अभी चीन की आबादी 1.41 बिलियन के लगभग है और भारत की जनसंख्या 1.34 बिलियन है। इन दोनों देशों में दुनिया की सबसे ज्यादा 18–19 प्रतिशत मानव बसाव रहती है। चीन के मुकाबले भारत की ये बढ़ती हुई जनसंख्या की खबर सुनकर हम खुश तो हो सकते हैं, परंतु ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या बनेगी।

परिवार नियोजन व जनसंख्या वृद्धि रोकने में जनता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें समझना चाहिए कि बेहताशा बढ़ती जनसंख्या न केवल वर्तमान विकास क्रम को प्रभावित करती है, बल्कि अपने साथ भविष्य की कई चुनौतियां भी लेकर आती है। भूखों और नंगों की तादाद खड़ी करके हम खाद्यान्न संकट, पेयजल, आवास और शिक्षा का खतरा मोल ले रहे हैं। लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील कर देश की गरीबी को बढ़ा रहे हैं।

सालों पहले प्रतिपादित भूगोलवेत्ता माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के मुताबिक मानव जनसंख्या ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है लेकिन वहीं, भोजन और प्राकृतिक संसाधन अंकगणितीय आधार पर बढ़ते हैं। यही वजह है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर उत्पन्न हो जाता है। कुदरत इस अंतर को पाटने के लिए आपदाएं लाती है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ इसकी मिसालें हैं।

इसी तरह डार्विनवाद के प्रणेता चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक ''जीवन के लिए संघर्ष' लागू होता स्पष्ट नजर आ रहा है। सीमित जनसंख्या में हम बेहतर और अधिक संसाधनों के साथ आरामदायक जीवन जी सकते हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण यही आराम संघर्ष में परिवर्तित होकर शांति–सुकून को छीनने का काम करता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों व सरकारी सेवाओं का लाभ लेने वाले गिने–चुने लोगों के लिए सरकारी फरमान जारी करने से स्थायी और कारगर समाधान नहीं खोजा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों से कहीं अधिक आम जनता जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शिक्षित समुदाय जनसंख्या की समस्या से भलीभांति अवगत है। यदि कोई अनभिज्ञ है तो वह अशिक्षित और अनपढ़ वर्ग जिसे जनसंख्या के बढ़ने के हानिकारक पहलुओं से रूबरू कराना बेहद जरूरी है।

सवाल है कि इस जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है ? दरअसल, जितनी सरकार जिम्मेदार नजर आती है उससे कई अधिक जिम्मेदार आम जनता यानी हम और आप हैं। आखिर हम क्यूं भूखे और नंगों की एक अधिक आबादी खड़ी करने पर तुले हुए हैं ? सरकार अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अभियान व योजनाओं को हल्के में जाने देती है। आखिर कोई सरकार क्यूं अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलायेगी! इन्हीं सब कारणों की वजह से ''एक बच्चा नीति'' भारत में लागू हो पानी अंसभव–सी प्रतीत होती है। हकीकत तो यह की हम ''दो बच्चे ही अच्छे'' के सिद्धांत से भी कोसों दूर हैं। यदि आंकड़ों के अनुसार देखें तो आजादी के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो जनसंख्या सर्वेक्षण रिर्पोट 2011 के मुताबिक भारत की आबादी बढ़कर लगभग 121.5 करोड़ हो गई है तथा साल 2018 तक हमारे देश की कुल आबादी लगभग 133 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। देश की कुल आबादी में 62.31 करोड़ जनसंख्या पुरुषों की व 58.47 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां की कुल आबादी 19.98 करोड़ है तो वहीं न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है जहां की कुल आबादी लगभग 6 लाख है।

हमारे देश में विशाल होती जनसंख्या का एक कारण पुरुषवादी मानसिकता का होना भी है। घर चलाने व वंश की पहचान के तौर पर बेटे के इंतजार में बेटियों की संख्या में वृद्धि कर लंबा–चौड़ा परिवार बढ़ाया जाता है। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित उम्र से कम उम्र में बाल विवाह कराये जाने से भी जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। देश की अधिकांश आबादी निरक्षर होने के कारण वे देश व अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभावों से अछूते ही रहते हैं। यह सच है कि आज कई राज्यों की सरकारें इस विषय पर गंभीर हुई हैं। जिसके परिणामस्वरूप असम की राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया।

जरूरत है कि सरकार इस दिशा में मुहिम को ओर भी तेज करे और एक या दो बच्चा नीति की अनुपालना राष्ट्रीय स्तर पर हो। सरकारी कर्मचारियों व आरक्षण के भुगतभोगियों के लिए एक बच्चा नीति चलायी जाये ताकि वे आरक्षण व सरकारी ओहदे का बान्ड भर सकें। सरकार पदोन्नति के लिए भी बच्चों की संख्या को आधार माने। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे वालों को पहले और दो या दो से अधिक बच्चे वालों को उसके

बाद प्रोमोशन प्रदत्त करें। निरोध, गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल, पुरुष व महिला नसबंदी काफी हद तक बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार थामने में कारगर साबित हो सकती है। हमें देश की उन्नति के साथ अपने सुरक्षित भविष्य व बेहतर जीवन की अभिलाषा के लिए आज और अभी से सचेत होना होगा।

**जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न की कमी**

रूढ़िवादी अर्थशास्त्र लंबे समय तक इस संभावना से परेशान रहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए पर्याप्त रूप से काफी नहीं होगी। माल्थस इस भय का एक शुरुआती प्रवक्ता था। कीनेस ने भी इस विचार को तब तक माना कि जब तक कि गरीब देशों ने किसी तरह से यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनकी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहेगी, तो विश्व अर्थव्यवस्था में भोजन की कमी होगी, जिसमें गरीबी बढ़ने का लक्षण होगा।

यह दृष्टिकोण एक बौद्धिक लोकाचार का उत्पाद था जिसने गरीबी को किसी भी सामाजिक व्यवस्था के उत्पाद के बजाय अत्यधिक प्रजनन के परिणाम के रूप में देखा। इसे स्पष्ट रूप से माल्थस द्वारा कहा गया और शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जो आबादी के सम्बन्ध में मल्थुसियन सिद्धांत से प्रभावित थी, उसने इस तर्क को आगे बढ़ाया कि श्रमिकों का वेतन जीवन निर्वाह के स्तर से बंधा रहता है और और जैसे ही निर्वाह की शक्ति बढ़ती है उनमें प्रवृत्ति तेजी प्रजनन के लिए बढ़ जाती है। मार्क्स ने स्वाभाविक रूप से अवमानना के साथ इस स्थिति को खारिज कर दिया, उन्होंने आबादी के मल्थुसियन सिद्धांत को, जिस आधार पर यह आधारित था, ''मानव जाति का एक अपमान'' बताया।

केनेस का मामला अधिक उत्सुकता पूर्ण है। पूँजीवादी प्रणाली की खामियों के प्रति सजग रूप से जागरूक (हालाँकि एक संशोधित रूप में इसे बनाए रखने के लिए एक ही समय में प्रयास करना), उनके बौद्धिक कार्य के मुख्य काम ने यह सुझाव दिया कि पूंजीवाद के तहत श्रमिकों की दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि उनके रोजगार और कमाई, सट्टेबाजों के एक समूह की सनक और उसके चरित्र द्वारा निर्धारित की गई थी। जनसंख्या के विकास के बारे में केनेस की चिंता कि खाद्य आपूर्ति गरीबी का कारण है, यह संदर्भ ही अजीब लगता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पूँजीवादी व्यवस्था में अपने सभी अंतर्दृष्टि के साथ, केनस साम्राज्यवाद के प्रश्न पर उल्लेखनीय रूप से आँखें मुंड लेते हैं। तीसरी दुनिया की गरीबी साम्राज्यवादी शोषण का नतीजा है यह उनके खयाल में कभी नहीं आयाय इसके विपरीत वह उन लोगों की गहराई से आलोचना करते थे जिन्होंने इस तरह का कोई सुझाव दिया था। नतीजतन, तीसरी दुनिया की गरीबी, जो देखने के लिए हर किसी के लिए थी, के इन कारणों को आंतरिक कारणों से समझाया गया थाय और जनसंख्या वृद्धि की अत्यधिक उच्च दर एक स्पष्ट 'स्पष्टीकरण' थी।

केनेस के दृष्टिकोण को एक अन्य ''मुख्यधारा'' के अर्थशास्त्री ने समर्थन दिया है, जो साम्राज्यवाद की श्रेणी को समझने के लिए कतई तैयार नहीं हैं, तीसरी दुनिया पर किसी भी गरीबी–उत्प्रेरण प्रभाव को छोड़ दें, लेकिन इन समाजों के आंतरिक स्पष्टीकरण पर वापस आ जाता है और लोगों के आर्थिक अभाव के लिए उसे जिम्मेदार ठहरता है। और इससे जनसंख्या वृद्धि एक आसान स्पष्टीकरण के रूप में पेश आती है।

लेकिन जब इसमें कोई भी तर्क नहीं है कि तीसरी दुनिया का समाज अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाये (यह एक पूरी तरह से अलग मुद्दा है), को देखते हुए कि उनकी गरीबी अत्यधिक आबादी के विकास के कारण है, अपने आप में बहुत ही बेतुका कारण है। आइए अब हम गरीबी का सरलतम सूचकांक लें, जैसे पोषण संबंधी अभाव।

वास्तव में भारत और यहां तक कि अन्य देशों में गरीबी की आधिकारिक परिभाषा पोषण संबंधी अभाव है। भारत में शहरी क्षेत्रों में 2100 से कम कैलोरी प्रति दिन और ग्रामीण इलाकों में 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति से कम ग्रहण करने वाले लोग ''गरीब'' माने जाते हैंय और इन मानकों को कभी भी अस्वीकार नहीं किया गया है, यह कोई मायने नहीं रखता कि इस तरह की गरीबी की सीमा को निर्धारित करने के लिए जो भी धोखे वाले

उपनगरीय कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सवाल यह है कि क्या गरीबी इतनी परिभाषित है कि अपुष्ट खाद्य उत्पादन आबादी के सापेक्ष है ?

उल्लेखनीय बात यह है कि दुनिया की आबादी के विकास के साथ विश्व खाद्य उत्पादन में वृद्धि कम या ज्यादा रही है। उदाहरण के लिए त्रैवार्षिक 1979–81 के लिए औसत वार्षिक विश्व के अनाज का उत्पादन, जब त्रिकोणीय के मध्य वर्ष की आबादी से विभाजित किया गया था, 355 किलोग्राम था। त्रैवार्षिक 2015–17 के लिए संबंधित आंकड़ा 350 किलोग्राम था सभी भयानक भविष्यवाणियों के बावजूद, खाद्यान्न उत्पादन पिछले और साढ़े तीन दशकों में आबादी के साथ अधिक या कम गति रखता है। इसी समय हालाँकि, उत्पादन में सापेक्ष अनाज के भंडार की मात्रा 2016 में काफी अधिक थी, वास्तव में यह देर से बढ़ रहा है।

पूँजीवादी संकट के बावजूद हाल ही में विश्व आर्थिक विकास धीमा हो गया है, 35 साल की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति निश्चित रूप से विकास दर सकारात्मक दर रही है। चूँकि अनाज समेत अनाजों की मांग की आय में लचीलापन विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, इसलिए उम्मीद है कि प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में अधिक या कम अपरिवर्तित रहने के साथ अनाज के बाजार में अतिरिक्त मांग होगी, जिससे अनाज के भंडार में कमी आ जाएगी। तथ्य यह है कि वास्तव में इसके विपरीत हुआ है कि प्रति व्यक्ति विश्व की अनाज की मांग में वास्तव में गिरावट आई है, वैसे ही प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन अधिक या कम अपरिवर्तित रहा है।

यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हम सीधे अनाज की खपत के बारे में नहीं बल्कि सभी अनाज के सभी उपयोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष उपभोग (प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और जानवरों के उत्पादों के माध्यम से जिसके लिए अनाज की आवश्यकता होती है) शामिल है और सांख्यिकीय सबूत, देशों के लिए विभिन्न वर्ग और टाइम–सीरीज डेटा लेते हुए दिखाता है कि उपरोक्त कारणों से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के साथ अनाज की प्रति व्यक्ति मांग बढ़ जाती है। इसलिए यह तथ्य कि हाल ही में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा नहीं हुआ है, यह संकेत करता है कि देश के भीतर काम करने वाले लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति में सीधे कटौती के माध्यम से अनाज की मांग में कमी आ रही है, जो कि अनाज की खपत पर भी आर्थिक रूप से मजबूती के लिए मजबूर हैं ऐसी कटौती (प्रति व्यक्ति दुनिया में अनाज की खपत में वास्तविक गिरावट उपरोक्त सुझावों की तुलना में अधिक है क्योंकि उत्पादन की एक बड़ी मात्रा पहले की तुलना में अब इथेनॉल उत्पादन के लिए चली जाती है)।

रूढ़िवादी अर्थशास्त्र के डर के विपरीत, दुनिया में लगातार और भी बढ़ती भूख का कारण आज आपूर्ति की ओर से नहीं बल्कि मांग पक्ष से उठता है, इसलिए नहीं कि आबादी के मुकाबले बहुत कम उत्पादन होता है, पर इसलिए कि अनाज के लिए मांग बहुत कम है उत्पादन के मुकाबले। चूँकि मांग की विशालता वास्तविक क्रय शक्ति और इसके वितरण जो कि सामाजिक रूप से निर्धारित है, की विशालता पर निर्भर करती है, इसलिए वह अत्यधिक आबादी नहीं है बल्कि सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत हम आज जीते हैं, यह वह नव–उदारवादी पूँजीवाद की व्यवस्था है, जो लगातार इसके लिए जिम्मेदार है। दुनिया में बढ़ती भूख और पोषण संबंधी अभाव और का कारन बढ़ती आबादी नहीं बल्कि विश्व सामजिक आदेश है जो अपने आप में दमनकारी है।

इसका अर्थ यह नहीं है जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, कि आबादी को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अत्यधिक आबादी का उपयोग छलने के रूप में करटा है जो सामाजिक व्यवस्था की भूमिका को अस्पष्ट करता है, पूरी तरह से गलत है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

हमारे तर्क का यह भी अर्थ नहीं है कि प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में वृद्धि का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, काम करने वाले लोगों के हाथों में क्रय शक्ति का अभाव होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि खाद्यान्न, उत्पादन सहित कृषि की वृद्धि दर कम है। अगर इस विकास दर में वृद्धि हुई तो वह उन खाद्यान्नों की मांग करने वालों के हाथों में बड़ी क्रय शक्ति भी आएगी, जो पोषण संबंधी अभाव को कम करेगा। लेकिन हमारे तर्क से पता चलता है कि अगर किसी अन्य तरीके से क्रय शक्ति उनके हाथों में डाल दी जाती है, तो भी पोषण संबंधी गरीबी में कमी के कारण विश्व खाद्य खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग पैदा करने के बिना भी कमी होगी। उदाहरण के लिए दुनिया के कामकाजी लोगों को सस्ता या निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य

सेवा प्रदान की जा सकती है तो वे अपने हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त करेंगे, जिससे वे बड़े अनाज की खपत का उपयोग करेंगे, जिससे पोषण और गरीबी पर काबू पाया जा सकता है।

वास्तव में, दोनों के लिए एक ही कारक जो खाद्यान्नों की मांग को बरकरार रखता है, और खाद्यान्नों के उत्पादन को भी नीचे रखता हैः जिन उपायों के माध्यम से नव–उदारवादी पूंजीवाद काम कर रहा है वह लोगों के हाथों में क्रय शक्ति को घटा देता है और उन्ही उपायों के चलते वह किसान के उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इससे पहले कृषि को दी गयी सभी सब्सिडी को खत्म करना, मूल्य–समर्थन योजनाओं को वापस लेना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी को निजी सेवाओं के जरिए निजीकरण करना जो उन्हें अधिक महंगा बनाता है, ये नव–उदारवादी एजेंडे की आम विशेषताएं हैं, जो किसानों की वास्तविक लाभप्रदता को कम करते हैं, किसानों को कर्ज, संकट और आत्महत्याओं के एक दुष्चक्र में धकेलटा है। परिणामस्वरूप इसके परिणाम भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है।

इस ''मुख्यधारा'' के तर्क को माल्थस से केन्स के कई प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा विकसित किया गया है और इसलिए यह दो कारणों से गलत है सबसे पहले, गरीबी तब भी मौजूद थी जब विश्व अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन की कोई कमी नहीं थी, जिससे कि भूख को बनाए रखने वाली निकटतम बाधा आपूर्ति पक्ष पर नहीं बल्कि मांग पक्ष पर है। दूसरा, बढ़ते उत्पादन पर बाधा भी किसी भी ''प्राकृतिक सीमा'' की वजह से नहीं होती है बल्कि नव–उदारवादी पूँजीवाद के शासन के तहत जारी नीतियों के कारण उत्पन्न होती है। बदले में ये दो कारण संबंधित हैं : खाद्यान्न की मांग को कम करने वाले उपाय ही खाद्यान्न उत्पादन को कम करते हैं और मांग में कमी ज्यादा कम उत्पादन। इन परिणामों को किसी भी ''अत्यधिक जनसंख्या'' से जोड़ने के बजाय सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ना सही होगा। तथ्य यह है कि ''मुख्यधारा'' के अर्थशास्त्री गरीबी के कारण को, विशेष रूप से तीसरी दुनिया में ''अत्यधिक आबादी'' से जोड़ते हैं, और सामाजिक व्यवस्था की वजह से जो कहर बरपता है उसको अनदेखा कर देते हैं, यह केवल अर्थशास्त्र की गहरी वैचारिक प्रकृति को रेखांकित करते हैं।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. अराधिनेजाद, शहाब – जल संसाधन एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग
2. एम. के. जर्मर – जल संसाधन एवं जल प्रबन्ध
3. डॉ. रामकुमार गुर्जर, डॉ. बी. सी. जाट – पर्यावरण अध्यय
4. डॉ. पी. एस. नेगी – पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भूगोल
5. डॉ. मनोज कुमार यादव, डॉ. (श्रीमती) अनुपमा यादव – पर्यावरण अध्ययन
6. प्रो. एच. एस. शर्मा, डॉ. एम. एल. शर्मा, डॉ. जे.के. शर्मा – भारत का नूतन भूगोल
7. सविन्द्र सिंह – पर्यावरण भूगोल
8. डॉ. काशीनाथ सिंह, डॉ. जगदीश सिंह – आर्थिक भूगोल के मूल तत्व
9. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह (2012) 'जल संरक्षण – आवश्यकता एवं उपाय', प्रकाशक– श्री गिर्राज प्रकाशन, राम भवन चौड़ा रास्ता, जयपुर
10. गुर्जर, आर.के, जाट, बी.सी. (2001), पर्यावरण भूगोल पंचशील प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर
11. गुर्जर, आर.के. सम्पादित (1992), पर्यावरण प्रबन्धन एवं विकास पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
12. यादव, हीरालाल (2003) : जनसंख्या भूगोल, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली ।
13. अग्रवाल, एस.एन.(1974) : भारत में जनसंख्या की समस्याऐं, टाटा एम हिल, नई दिल्ली।
14. Chandna, R.C. (1980) : Introduction to Population Geography, kalyani Pub. New Delhi
15. Trewarta, G.T. (1969) : A Geography of Population, Word Patterns John Wiley, New York


❖◆❖